संख्या- 318 /2025/ 2942 /चार-2025-1859349

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 10 अक्टूबर, 2025**

विषय:- अयोध्या धाम में दिनांक 17 से 19 अक्टूबर, 2025 तक आयोजित दीपोत्सव-2025 के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय, किराया, यात्रावधि भत्ता एवं कार्यक्रम संबंधी अन्य व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 1955/सं0नि0-15(63)/2025-26, दिनांक 29 सितम्बर, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अयोध्या धाम में दिनांक 17 से 19 अक्टूबर, 2025 तक आयोजित दीपोत्सव-2025 के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय, आवास / भोजन, स्थानीय यातायात आदि पर होने वाले व्यय विवरण से निम्नवत् अवगत कराया गया है:-

क्र0	मद का नाम	अनुमानित धनराशि	अभ्युक्ति
1	नेपाल की रामलीला दल के कलाकारों के मानदेय पर व्यय	4,00,000.00	कलाकारों के मानदेय एवं यातायात पर व्यय
2	दिनांक 17-19 अक्टूबर, 2025 तक स्थानीय रामलीला दल के कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियों का मानदेय	10,06,200.00	कलाकारों के मानदेय का निर्धारण शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार
3	दिनांक 17-19 अक्टूबर, 2025 तक अयोध्या धाम में प्रदेश के लोक कलाकारों द्वारा शोभा यात्रा की प्रस्तुति का मानदेय	17,22,200.00	दिनांक 17-19 अक्टूबर, 2025 तक की अवधि में लगभग 500 शोभा यात्रा के लोक कलाकारों के मानदेय एवं किराया शासनादेश के अनुसार
4	दिनांक 17-19 अक्टूबर, 2025 तक अयोध्या धाम में देश के विभिन्न प्रदेशों के कलाकारों के मानदेय पर व्यय	36,62,800.00	दिनांक 17-19 अक्टूबर, 2025 तक की अवधि में विभिन्न प्रदेशों के लगभग 350 कलाकारों के मानदेय, किराया एवं यात्रावधि का भत्ता शासनादेश के अनुसार
5	अयोध्याधाम में विभिन्न मंचों पर (गुप्तार घाट, बड़ीदेव काली, रामघाट, बिड़ला धर्मशाला, भरतकुण्ड, तुलसी उद्यान, नाका हनुमान गढ़ी, रामकथा पार्क एवं बस अड्डा बाईपास) प्रस्तुति करने वाले कलाकारों के मानदेय पर व्यय	48,00,000.00	दिनांक 17-19 अक्टूबर, 2025 तक की अवधि में अयोध्या धाम में 10 मंचों पर प्रस्तुति करने वाले कलाकारों के मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

6	विदेशी रामलीला दलो के कलाकारों के आवास/भोजन पर व्यय	30,00,000.00	दिनांक 17-19 अक्टूबर, 2025 तक की अवधि में अयोध्या धाम में विदेशी रामलीला दलों के सदस्य मेकप आर्स्टिस्ट एवं कॉस्टूम स्टाइलिश हेतु कक्षों के आरक्षण के साथ भोजन की व्यवस्था पर व्यय
7	विदेशी रामलीला दल कलाकारों के यातायात पर व्यय प्रस्ताव अनुमानित। वास्तविक व्यय के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।	8,50,000.00	दीपोत्सव-2025 को विदेशी रामलीला दल दिनांक 16 अक्टूबर, 2025 के कलाकारों को ए0सी0 बस के माध्यम से दिल्ली एयरपोर्ट से अयोध्या तक आने व दिनांक 20 अक्टूबर, 2025 को वापस दिल्ली तक जाने के साथ-साथ अयोध्या में स्थानीय यात्रा।
8	लोक कलाकारों, अन्य प्रदेशों के कलाकारों एवं मंचीय कलाकारों के आवास पर व्यय प्रस्ताव अनुमानित। वास्तविक व्यय के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।	21,60,000.00 (04 दिवस हेतु) 5,40,000.00 (03 दिवस हेतु)	दिनांक 17-19 अक्टूबर, 2025 तक अयोध्या धाम में दीपोत्सव-2025 में 600 कलाकार 04 दिवस तक अवस्थान करेंगे तथा लघु मंचों पर प्रस्तुति करने वाले लगभग 1100 कलाकार 02 दिवस अवस्थान करेंगे। शासनादेश दिनांक 27.12.2022 के अनुसार कलाकारों के आवास पर व्यय रू0 900/- प्रति कलाकार।
9	लोक कलाकारों, अन्य प्रदेशों के कलाकारों एवं मंचीय कलाकारों के भोजन पर व्यय प्रस्ताव अनुमानित। वास्तविक व्यय के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।	17,00,000.00 (04 दिवस हेतु) 3,00,000.00 (03 दिवस हेतु)	दिनांक 17-19 अक्टूबर, 2025 तक अयोध्या धाम में दीपोत्सव-2025 में 850 कलाकारों हेतु 04 दिवस के भोजन की व्यवस्था तथा 1100 कलाकारों के 02 दिवस हेतु भोजन की व्यवस्था। शासनादेश दिनांक 27.12.2022 के अनुसार कलाकारों के भोजन पर व्यय रू0 500/- प्रति कलाकार।
10	लोक कलाकारों, अन्य प्रदेशों के कलाकारों एवं मंचीय कलाकारों के स्थानीय यातायात पर व्यय प्रस्ताव अनुमानित। वास्तविक व्यय के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।	9,00,000.00	अपटूवर्स की अनुमोदित दरों के अनुसार दिनांक 17-19 अक्टूबर, 2025 तक अयोध्या धाम में दीपोत्सव-2025 में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के स्थानीय यातायात पर व्यय।
11	अयोध्या धाम में मंच, पंडाल, ध्वनि, प्रकाश एवं जनरेटर इत्यादि पर होने वाला व्यय प्रस्ताव अनुमानित। वास्तविक व्यय के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।	35,00,000.00	सचिवालय प्रशासन की अनुमोदित दरों के अनुसार 16x24 के 10 मंच (गुप्तार घाट, बड़ीदेव काली, रामघाट, बिड़ला धर्मशाला, भरतकुण्ड, तुलसी उद्यान, नाका हनुमान गढ़ी, रामकथा पार्क एवं बस अड्डा बाईपास)
12	कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार, बैकड्राप, स्टैण्डी, बैनर, कलाकारों की आई0डी0 एवं पोस्टर इत्यादि पर व्यय प्रस्ताव अनुमानित। वास्तविक व्यय के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।	6,00,000.00	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की अनुमोदित दरों के अनुसार
13	कलाकारों के प्रस्तुति के दौरान सूक्ष्म जलपान एवं कलाकारों के बैक स्टेज एवं विविध व्यय प्रस्ताव अनुमानित।	12,00,000.00	दीपोत्सव-2025 में सांस्कृतिक प्रस्तुति एवं शोभा यात्रा के दौरान कलाकारों हेतु सूक्ष्म जलपान, एनर्जी ड्रिंक, पानी इत्यादि एवं

https://shasanadesh.up.gov.in

	वास्तविक व्यय के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।		बैकस्टेज पर व्यय
14	03 दिवसीय कार्यक्रम में 25 वॉलिन्टियर के मानदेय पर व्यय प्रस्ताव अनुमानित। वास्तविक व्यय के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।	1,00,000.00	कार्यक्रमों में समन्वय हेतु डॉ0 राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के छात्र एवं स्थानीय व्यक्तियों के माध्यम से
15	कार्यक्रम की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी पर व्यय प्रस्ताव अनुमानित। वास्तविक व्यय के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी एवं अभिलेखीकरण	3,00,000.00	सम्पूर्ण अयोध्या धाम में 03 दिवसीय कार्यक्रम के कवरेज हेतु 10 वीडियो 10 स्टिल कैमरा एवं ड्रोन वीडियोग्राफी हेतु
16	कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों एवं अतिथियों हेतु मोमेन्टो, अंगवस्त्र एवं प्रमाण पत्र आदि पर व्यय प्रस्ताव अनुमानित। वास्तविक व्यय के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। (कार्ड, ब्रोशर आदि)	3,00,000.00	अयोध्या धाम में दीपोत्सव-2025 में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों को सम्मानित किये जाने हेतु
17	चित्रकला एवं म्यूरल्स प्रदर्शनी पर व्यय	2,00,000.00	उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी के प्रतिष्ठित कलाकारों द्वारा रामायण चित्रकला पर आधारित प्रदर्शनी हेतु रू0 02.00 लाख का व्यय सम्भावित है।
18	रामायण प्रसंगों पर आधारित प्रदर्शनी पर व्यय	30,00,000.00	ए0आई0 रामायण पर आधारित प्रदर्शनी। पाण्डुलिपियों में रामकथा विषयक आधुनिक तकनीक पर आधारित प्रदर्शनी।
19	अन्तर्राष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान की प्रदर्शनी पर व्यय	2,00,000.00	अन्तर्राष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान, अयोध्या द्वारा विभिन्न देशों की रामलीला पर आधारित मुखौटों, प्रॉब्स एवं प्रयुक्त अवयवों की प्रदर्शनी
20	अन्य/विविध व्यय	5,00,000.00	कार्यक्रम के दौरान अपरिहार्य परिस्थितियों में तत्कालिकता के दृष्टिगत स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम हेतु सामग्रियों की व्यवस्था किये जाने हेतु
योग		3,09,41,200.00	-

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार अयोध्या धाम में दिनांक 17 से 19 अक्टूबर, 2025 तक आयोजित दीपोत्सव-2025 के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय, किराया, यात्रावधि भत्ता एवं कार्यक्रम संबंधी अन्य व्यवस्थाओं पर होने वाले अनुमानित व्यय **रू0 3,09,41,200/- (रूपये तीन करोड़ नौ लाख इक्तालीस हजार दो सौ मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) शासनादेश द्वारा अनुमन्य दरों एवं शर्तों तथा प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर कार्य कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(3) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(4) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(6) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(9) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान/ कलाकार के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(10) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(11) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-संस्कृति निदेशालय-42 अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।